क्रम-संख्या–134(क-4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त, 2025

श्रावण 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 166 / 79-वि-1–2025-1-क-4 / 2025

लखनऊ, 21 अगस्त, 2025

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक, 2025 जिससे धर्मार्थ कार्य अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 21 अगस्त, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2025 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2025)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जैसा राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(3) यह उत्तर प्रदेश में श्री बांके बिहारी जी मंदिर, वृन्दावन, मथुरा पर लागू होगा।

परिभाषाएँ

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें;

(ख) "अर्चक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड या अन्य धार्मिक अनुष्ठान का सम्पादन या संचालन करता है और उसमें पुजारी और सेवायत सम्मिलित हैं;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित "न्यासी बोर्ड" से है;

(घ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ङ) "विन्यास" का तात्पर्य समस्त स्थावर या जंगम सम्पत्ति से है जो मन्दिर से सम्बन्धित हो या मन्दिर के समर्थन या अनुरक्षण या सुधार के लिये या मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिये या उससे सम्बन्धित किसी दान के लिए दी या अर्पित की गयी हो और उसमें मन्दिर में स्थापित मूर्तियाँ, मन्दिर का परिसर और मन्दिर की प्रसीमा के भीतर किसी व्यक्ति को उसमें प्रतिष्ठित देवताओं के लिये दिया गया या देने के लिए आशयित सम्पत्ति का उपहार भी सम्मिलित है;

(च) "कार्यकारी समिति" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन गठित कार्यकारी समिति से है;

(छ) "धर्मार्थ अर्पण" का तात्पर्य मन्दिर की प्रसीमा के भीतर या अन्यथा, नकद या वस्तु के रूप में ऐसे अर्पण से है, जो मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के सम्पादन या संचालन से सम्बद्ध हों और उसमें मन्दिर में इस प्रकार उपयोग करने हेतु अर्पण के रूप में आशयित या अभिप्रेत डाक या तार से भेजा गया धन या चेक या बैंक ड्राफ्ट सम्मिलित है;

(ज) "मन्दिर" का तात्पर्य मथुरा नगर में स्थित "श्री बांके बिहारी जी मन्दिर" से है, जो हिन्दुओं द्वारा सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है और हिन्दुओं को समर्पित है या हिन्दुओं की प्रसुविधा हेतु है या हिन्दुओं द्वारा अधिकार के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसमें समस्त अधीनस्थ मन्दिर, पूजा स्थल, गौण पूजा स्थल और समस्त अन्य प्रतिमाओं और देवताओं के स्थान मंडप, कूप, जलाशय और अन्य आवश्यक संरचनाएं और उससे अनुलग्न भूमि और परिवर्धन जो नियत दिनांक के पश्चात् किये जाये, सम्मिलित है;

(झ) "न्यास निधि" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित न्यास निधि से है;

न्यास

3–(1) नाम–

(एक) न्यास को "श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास" कहा जायेगा।

(2) कार्यालय–

(एक) न्यासी अपनी प्रथम बैठक में न्यास के स्थायी कार्यालय की पहचान व निर्धारण पर विचार–विमर्श करेंगे।

(दो) स्थायी कार्यालय, समय–समय पर ऐसे अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा जैसा न्यासियों द्वारा एक सामान्य बोर्ड प्रस्ताव के माध्यम से विनिश्चय किया जाय।

(3) प्रकृति–

(एक) एतद्वारा निर्मित न्यास अप्रतिसंहरणीय होगा।

न्यास के उद्देश्य एवं अभिप्राय

4–यह न्यास निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्थापित किया गया है; अर्थात्–

(एक) यथासम्भव स्वामी हरिदास के समय से चले आ रहे रीति–रिवाजों, परम्पराओं, त्यौहार–समारोहों, व्रत एवं अनुष्ठानों के अनुरूप बिना किसी हस्तक्षेप या परिवर्तन के मन्दिर में पीठासीन देवता तथा अन्य देवताओं की पूजा, अर्चना एवं पद्धतियों की निर्बाध निरन्तरता सुनिश्चित करना। तथापि, इस खण्ड में कोई भी बात दर्शन का समय निर्धारित करना, पुजारियों की नियुक्ति करना, उनके वेतन, उपलब्धियाँ एवं प्रतिकर निर्धारित करना अथवा भक्तों एवं आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय किया जाना, नहीं रोकेगी;

(दो) उपरोक्त उद्देश्य के अनुरूप मंदिर का प्रभावी प्रशासन एवं प्रबंधन संचालित करना;

(तीन) दर्शन हेतु सुरक्षित व सुलभ पहुँच सुनिश्चित कर श्रद्धालुओं को निर्बाध, निरापद दर्शन का अनुभव प्राप्त करवाने का प्रयास करना और उसके लिए आवश्यक समस्त वस्तुएं उपलब्ध कराना;

(चार) तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों हेतु विश्वस्तरीय सुख–सुविधाएं सुनिश्चित करना, जिसमें प्रसाद वितरण हेतु उपयुक्त एवं अभिहित स्थान, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए पहुँच सुविधाओं में सुधार, पेयजल वितरक, विश्राम हेतु बेंच एवं बूथ, कम्प्यूटरीकृत पहुँच एवं कतार प्रबंधन कियोस्क, गौशालाएँ, अन्नक्षेत्र, रसोईघर, विश्राम एवं यात्रागृह, होटल और सराय, प्रदर्शनी कक्ष, भोजनालय, प्रतीक्षालय तथा अन्य ऐसी संरचनाएं, सुविधाएं एवं सुख–सुविधाएँ, जो समय–समय पर उपयुक्त एवं उचित समझी जाएं, का उपबन्ध सम्मिलित है, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(पाँच) ख्यातिप्राप्त पुरातत्त्व विशेषज्ञों, अभियंताओं, वास्तुविदों एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं के परामर्श, सर्वेक्षण एवं नियोजन के माध्यम से तथा इतिहासकारों एवं जीर्णोद्धार अभिकरणों, जो कालांतर में मन्दिर का परिरक्षण सुनिश्चित करने व आने वाली पीढ़ियों की प्रसुविधा हेतु मरम्मत व जीर्णोद्धार कर सके, के अग्रतर नियोजन से मन्दिर की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना, की सहायता से आवश्यक मरम्मत एवं संरक्षण कार्य कराना जिससे मंदिर की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके।

(छः) मन्दिर के प्रबन्धन में वित्तीय पारदर्शिता व जन–विश्वास सुनिश्चित करने के लिए समुचित बहीखाता तथा अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित कर वर्तमान या भविष्य में देवता और/या मन्दिर में निहित, या उनके नाम से और/या उनके अथवा मन्दिर की प्रसुविधा हेतु धारित स्थावर या जंगम समस्त धनराशियों, निधियों, मूल्यवान परिसम्पत्तियों, जमाराशियों, आभूषणों, दानराशियों, जिस नाम से भी कहा जाय, का प्रबन्धन करना, जिसमें अनुदान, चन्दा , अंशदान, हुण्डी संग्रह, दान, चढ़ावा, नजर, दक्षिणा, अर्पण, उपहार, भेंट तथा सम्पत्ति सम्मिलित है किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है;

(सात) तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आस–पास के क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास हेतु स्वयं एवं नियुक्त बोर्ड के माध्यम से सरकारी अभिकरणों एवं स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय एवं सहयोग करना।

(आठ) मंदिर के प्रशासन, प्रबंधन, अनुरक्षण तथा तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु सहायक एवं आनुषंगिक सभी प्रकार के कार्य करना।

5–(1) नियुक्ति, गठन एवं कार्यकाल– न्यासी बोर्ड

(एक) न्यासी बोर्ड ("बोर्ड") के न्यासियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी;

(दो) बोर्ड में दो प्रकार के न्यासी होंगे अर्थात् नामनिर्दिष्ट न्यासी एवं पदेन न्यासी;

(तीन) नामनिर्दिष्ट न्यासी कुल ग्यारह (11) व्यक्ति होंगे, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(क) वैष्णव परंपराओं, संप्रदायों अथवा पीठों से संबंधित तीन (3) प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें संत, मुनि, गुरु, विद्वान, मठाधीश, महंत, आचार्य, स्वामी आदि सम्मिलित हो सकते हैं;

(ख) सनातन धर्म की अन्य परंपराओं, संप्रदायों अथवा पीठों से संबंधित तीन (3) प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें संत, मुनि, गुरु, विद्वान, मठाधीश, महंत, आचार्य, स्वामी आदि सम्मिलित हो सकते हैं;

(ग) सनातन धर्म की किसी भी शाखा या सम्प्रदाय से संबंधित ऐसे तीन (3) प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो किसी भी क्षेत्र जैसे शिक्षाविद्, विद्वान, उद्यमी, वृत्तिक, समाजसेवी आदि से हों किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे;

(घ) मंदिर में सेवारत गोस्वामी परंपरा से दो (2) सदस्य, जो स्वामी श्री हरिदास जी के वंशज हों इनमें एक राज–भोग सेवायतों का प्रतिनिधित्व करेगा एवं दूसरा शयन–भोग सेवायतों का इनकी नियुक्ति इस प्रयोजनार्थ प्राप्त नामांकनों के आधार पर की जाएगी।

(चार) पदेन न्यासियों की संख्या सात (7) से अधिक नहीं होगी और इनमें निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित होंगे; अर्थात्:–

(क) जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा;

(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा;

(ग) नगर आयुक्त, मथुरा;

(घ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद्;

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग का एक अधिकारी;

(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री बांके बिहारी जी मन्दिर ट्रस्ट;

(छ) राज्य सरकार द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियुक्त किया गया अन्य कोई सदस्य, जिसकी नियुक्ति समीचीन समझी जाए।

(पाँच) नामनिर्दिष्ट न्यासियों का कार्यकाल उनके त्यागपत्र या मृत्यु के अध्यधीन तीन वर्षों का होगा और कोई न्यासी अनुक्रमशः नियुक्त नहीं किया जा सकेगा तथा कोई न्यासी दो बार से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

(छः) पदेन ट्रस्टी अपने पद के आधार पर न्यासी रहेंगे और पद की अवधि तक सदस्य रहेंगे।

(सात) सभी न्यासी हिंदू होंगे तथा सनातन धर्म को मानने वाले होंगे। कोई भी गैर–हिंदू व्यक्ति नामनिर्दिष्ट न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। जहां पदेन न्यासी के रूप में नियुक्त व्यक्ति सनातन धर्म से सम्बन्धित नहीं हो/हिन्दू के रूप में नहीं परिलक्षित हो या जहाँ हिन्दू के रूप में परिलक्षित हो किन्तु अपने व्यक्तिगत विश्वासों के कारण न्यासी का दायित्व निभाने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में उस नियुक्त व्यक्ति से कनिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा।

(आठ) ऐसा कोई व्यक्ति जो विधि न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया हो, बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

(नौ) किसी भी व्यक्ति को उसके/उसकी जाति या लिंग के आधार पर नियुक्त होने से अनर्ह नहीं किया जाएगा।

(दस) मृत्यु, त्याग–पत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्ति होने पर न्यासी बोर्ड में किसी नये सदस्य की नियुक्ति की जानी हो, तो नये सदस्य का चयन, न्यासी बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

बोर्ड का कार्य

6–(1) बोर्ड के सभी नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पास एक (1) मत होगा।

(2) बोर्ड के पदेन सदस्यों को कोई मत देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वे बोर्ड के विचार–विमर्श में भाग लेने और राय व्यक्त करने के हकदार होंगे;

(3) बोर्ड की गणपूर्ति कम से कम सात (7) सदस्यों से होगी जिसमें कम से कम पांच नामनिर्दिष्ट सदस्य और दो पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे;

(4) बोर्ड प्रत्येक तीन (3) माह में एक बार बैठक करेगा तथा अन्य समय और आवृत्ति पर भी बैठक करेगा, जैसा कि बोर्ड आवश्यक समझे;

(5) बैठकों के आयोजन के लिए अधिसूचना के दिनांक से पंद्रह दिन का नोटिस आवश्यक होगा। हालांकि, बोर्ड द्वारा नियमों के माध्यम से अवधारित तरीके से समय की किसी भी आवश्यकता को समाप्त करते हुए आपातकालीन बैठक आयोजित की जा सकती है।

(6) बोर्ड के सभी संकल्प साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन कुछ विषयों के संबंध में विशेष बहुमत से पारित करना अपेक्षित न हो;

(7) बोर्ड अपनी प्रथम बैठक में तथा उसके पश्चात् समय–समय पर रिक्त होने पर अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष तथा ऐसे पदाधिकारियों और समितियों तथा उप–समितियों की नियुक्ति करेगा, जो तब तक पद पर बने रहेंगे, जब तक वे बोर्ड के सदस्य के रूप में प्रविरत नहीं हो जाते अथवा बोर्ड के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति तथा मतदान के प्रस्ताव द्वारा हटा नहीं दिए जाते।

(8) बोर्ड के सदस्य केवल ऐसे धनराशि, स्टॉक, शेयर, प्रतिभूतियाँ और निधियों के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह होंगे जो वास्तव में उनके हाथों में आते हैं या उनके द्वारा सौंपे गए या निष्पादित किए गए कार्य सम्बन्धित हों। न्यासी, अन्य न्यासियों या किसी अन्य व्यक्ति की उपेक्षा, लोप, कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं होगा, जिसके पास न्यास की संपत्ति या कोई प्रतिभूति जमा या रखी गई हो।

(9) बोर्ड या उसके किसी भी सदस्य को सद्भावनापूर्वक किए गए किसी भी निर्णय या कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

7–(1) विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक या सभी को कार्यान्वित करना जिसके लिए उन्हें आवश्यक शक्तियां प्राप्त मानी जाती हैं। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता के बिना बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा–

(क) श्री बांके बिहारी जी और मंदिर तथा उसके भक्तों और आगंतुकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए प्रशासनिक, प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी और सभी आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा;

(ख) किसी भी रसीद को स्वीकार करने, व्यय को प्राधिकृत करने और निवेश का प्रबंधन करने सहित न्यास निधि का प्रबंधन करना;

(ग) पीठासीन देवता, मंदिर और/या न्यास के नाम पर किसी भी चल और अचल संपत्ति की स्वीकृति या प्राप्ति को प्राधिकृत करना;

(घ) बैंकों या वित्तीय साधनों और प्रतिभूतियों या व्युत्पन्न और द्वितीयक में निवेश या जमा करना और उनके लाभ और आय को पीठासीन देवता, मंदिर और/या न्यास के नाम और लाभ के लिए प्राप्त करना और उन्हें संचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करना;

(ड.) भुगतान स्वीकार करना या करना, दस्तावेजों या दावों पर बातचीत करना, और रसीदें, डिस्चार्ज और सेटऑफ जारी करना;

(च) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से सुरक्षित ऋण, प्रभार, बिल्लंगम लेना;

(छ) बीस लाख रूपये (रू0 20,00,000/–) तक की चल एवं अचल सम्पत्ति खरीदना, किराये पर लेना या पट्टे पर लेना और जहॉ ऐसी धनराशि बीस लाख रूपये (रू0 20,00,000/–) से अधिक हो तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसा करना;

(ज) तृतीय पक्ष और सरकारी प्राधिकरणों को सम्मिलित करते हुए किसी अन्य के विरूद्ध मुकदमा, मध्यस्थता, विवाद या किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही संस्थित करना, प्रतिवाद करना, प्रतिरक्षा करना, परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए वकीलों की नियुक्ति करना और उपर्युक्त किसी भी मामले का प्रशमन या निपटारा करने की शक्ति होना;

(झ) चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत विश्लेषक, वित्तीय सलाहकार, कंपनी सचिव, लेखा एवं ऑडिट फर्मों की नियुक्ति;

(ञ) पुजारियों, सेवायतों, अर्चकों के पद, उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों का अवधारण तथा प्ररूपण, उनका रोस्टर, अर्हता तथा अनर्हता अवधारित करना, धारा 4 (एक) और (दो) को संज्ञान में रखते हुए यथा विनिश्चित ऐसे परिलब्धियों का संदाय और लाभों को प्रदान करना;

(ट) ऐसे पदाधिकारियों, कर्मचारियों को नियुक्त करना, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी और उनका वेतन परिलब्धियां, प्रतिकर और सेवा शर्तें निर्धारित करना मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यकारी समिति के निकट सहयोग में कार्य करना, जो बोर्ड के अनुदेशों और प्रस्तावों का पालन करेंगे तथा उन्हें लागू करेंगे;

(ठ) अन्य सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करना जिन्हें न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने और उसके प्रशासन के लिए आवश्यक समझा जाए;

(ड) उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक, एक या अधिक कृत्यों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित करना;

(ढ) बोर्ड के कामकाज, किसी शक्ति या कृत्यों के निर्वहन या प्रयोग के तरीके और प्राविधि, या मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े किसी अन्य मामले या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए नियम बनाना।

(2) श्री बांके बिहारी जी के देवता और मंदिर परिसर या श्री बांके बिहारी जी के आभूषणों में किसी भी प्रकार का किसी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित नहीं किया जा सकता है। बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद देवता, मंदिर और ट्रस्ट की किसी अन्य चल या अचल संपत्ति के संबंध में विक्रय करने, उपहार देने, विनिमय करने, पृथक करने, किराए या पट्टे पर देने, बंधक रखने, जमानत देने या किसी भी प्रकार का किसी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है।

(3) बोर्ड को न्यास के निष्पादन में होने वाली सभी हानियों और देनदारियों के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी हानि या व्यय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी या जिम्मेदार नहीं होगा, यदि कार्य सद्भावनापूर्वक किया जाता है।

(4) बोर्ड किसी भी तरह से न्यास के उद्देश्यों के साथ असंगत कार्य नहीं करेगा और न्यास के उपबंधों और प्रवृत्त विधि के विरुद्ध कोई भी शक्ति नहीं होगी ।

बोर्ड का हकदारी

8–(1) कोई भी ट्रस्टी (न्यासी), ट्रस्टी (न्यासी) के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण किसी भी वेतन या वेतनमान का हकदार नहीं होगा, लेकिन उपधारा (2) और (3) में विनिर्दिष्ट व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा।

(2) ट्रस्टियों (न्यासियों) को बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप ट्रस्ट के कृत्यों के निर्वहन या लाभ के लिए किए गए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(3) ट्रस्टियों (न्यासियों) को दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता और बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन और आवास के लिए भत्ता दिया जाएगा या जहां बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने या बोर्ड के किसी कृत्य को पूरा करने के लिए यात्रा की जाती हो।

वित्तीय मामले और न्यास की सम्पत्तियां

9–(1) न्यास संपत्तियां और निधियां :

(एक) संपूर्ण न्यास संपत्तियां और निधियां चाहे विद्यमान हो या भविष्य में प्राप्त हों, मंदिर के प्रमुख देवता श्री बांके बिहारी जी के लिए न्यास में रखी गई मानी जाएंगी (ट्रस्ट फंड);

(दो) न्यास की सम्पत्तियों में श्री बांके बिहारी जी मन्दिर की सभी वर्तमान चल और अचल सम्पत्तियां सम्मिलित होंगी। यदि कोई व्यक्ति देवता, मन्दिर या मन्दिर बनाए गये भूमि पर दावा करता है, तो न्यास के पास विवाद को समझौते या बातचीत या मुकदमेबाजी और मध्यस्थता सहित विधि द्वारा अनुमत किसी अन्य तरीके से और राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का अनुरोध करके विवाद का अवधारण करने का अधिकार होगा।

(तीन) श्री बांके बिहारी जी की सेवा में उपयोग होने वाले आभूषण, बर्तन, वस्त्र और मूल्यवान वस्तुएं भी इसमें सम्मिलित है।

(चार) इसमें सभी धनराशि, कोष, मूल्यवान संपत्तियाँ, जमा, आभूषण, दान–चाहे किसी भी नाम से हों–जैसे अनुदान, सदस्यता शुल्क, योगदान, हुंडी संग्रह, दान, चढ़ावा, नजर, दक्षिणा, भेंट, उपहार और चल–अचल संपत्तियाँ सम्मिलित होंगी, जो देवता, मंदिर या उनके लाभ के लिए वर्तमान या भविष्य में स्थापित या रखी गई हों।

(पांच) न्यास के पास एक मुख्य खाता होगा, परंतु विभिन्न उद्देश्यों और कार्यों के लिए एक या अधिक उप–खाते भी रखे जा सकते हैं।

(छः) न्यास की कोई भी संपत्ति अन्य संपत्ति में परिवर्तित या बदली जा सकती है, बशर्ते कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हो।

लेखा–पुस्तकें, लेखा–परीक्षा एवं वित्तीय देयता का निर्धारण

10–(एक) न्यास के पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में कम से कम एक स्थायी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट होगा।

(दो) न्यास अपनी सभी संपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय का समुचित और सही लेखा–जोखा रखेंगे तथा प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्तिम दिन के लिए आय व व्यय खाता और बैलेंस शीट तैयार करेगा जो लागू लेखांकन मानकों और लागू कर विधियों के अनुसार सख्ती से तैयार किया जायेगा, जिसे नीचे संदर्भित है, के अनुसार अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षा किया जायेगा।

(तीन) प्रत्येक वर्ष के लेखों की लेखा–परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जायेगी, जिसे बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जायेगा और लेखों को लेखा परीक्षा ट्रस्टियों की बैठक में रखा जायेगा, जो आगामी वर्ष की समाप्ति से पहले आयोजित की जायेगी और बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित भी की जायेगी।

(चार) यदि किसी भी वित्तीय मामले में खाते में त्रुटि या असंगति पाए जाने या शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से ट्रस्ट की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा। यह लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक एवं उपयुक्त समझे गए किसी स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित लेखा परीक्षा फर्म से करायी जा सकती है।

बजट

11–(एक) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम बैठक में आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा और अनुमोदित करेगा।

(दो) बजट में सीईओ और कार्यकारी समिति के लिए आवश्यक उपबन्ध भी सम्मिलित होंगे।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यकारी समिति

12–(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति एवं कार्यकाल–

(एक) राज्य सरकार न्यास के लिए पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

(दो) नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार का अधिकारी होगा एवं उसका पद ए0डी0एम0 (अपर जिला मजिस्ट्रेट) के पद के समकक्ष या उससे अन्यून होगा।

(तीन) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का पदेन सदस्य होगा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा बोर्ड के सदस्य के रूप में अपना पद धारण करेगा (जब तक वह अपने सरकारी पद पर है) जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा हटा न दिया जाए।

(2) भत्तें और सेवा की अन्य शर्तें–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ट्रस्टी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसी वेतन या भुगतान का अधिकार नहीं होगा, परंतु उसे व्यय प्रतिपूर्ति एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित भत्ते की हकदारी मिलेगी।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य–

(एक) मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों व विनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा और आदेश पारित करेगा।

(दो) मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों एवं बोर्ड के नियंत्रण के अधीन ट्रस्ट के मामलों और न्यास कोष के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा।

(तीन) मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व उसके अनुसार निम्नलिखित कार्य करेगाः–

(क) बोर्ड के निर्णयों और निर्देशों का पालन करेगा;

(ख) मंदिर में धार्मिक चढ़ावा के उचित संग्रह, संरक्षण और निपटान का उचित प्रबंध करेगा तथा उनका सही लेखा–जोखा रखेगा;

(ग) मंदिर के सभी अभिलेखों, आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं, धनराशि, मूल्यवान प्रतिभूतियों और सम्पत्तियों की सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना और बोर्ड के निर्देशों/निर्णयों/आदेशों के अनुसार मंदिर देवता, मंदिर और श्रद्धालुओं के लाभ के लिए उनका उचित उपयोग करना;

(घ) बोर्ड की कार्यवाही का विवरण रिकॉर्ड करना और बनाए रखना;

(ङ) बोर्ड द्वारा सौंपे गए अनुसार न्यास के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना;

(च) ऐसे सभी कार्य करना जो उसके या बोर्ड के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित हों।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की आपातकालीन शक्तियाँ–

(एक) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तत्काल और शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी कार्य के निष्पादन या किसी भी ऐसी चीज को करने का निर्देश दे सकता है, जो वार्षिक बजट में प्रदान नहीं की गई है या बोर्ड द्वारा निर्देशित नहीं है, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी की राय में मंदिर या उसके बंदोबस्त के संरक्षण के लिए या मंदिर देवता के भक्तों/तीर्थयात्रियों/ श्रद्धालुओं/उपासकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा के लिए या मंदिर में पूजा, सेवा, अनुष्ठान, समारोहों के उचित प्रदर्शन के लिए तत्काल आवश्यक है और अग्रतर निर्देश दे सकता है कि ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसी चीज को करने का व्यय का भुगतान न्यास निधि से किया जाएगा;

(दो) जब भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपरोक्त खंड (1) के अधीन कोई कार्रवाई करता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड और कार्यकारी समिति को तुरंत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगा, साथ ही ऐसी कार्रवाई के कारणों का विवरण भी देगा और उसके बाद बोर्ड, कार्यकारी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कार्रवाई करेगा।

राज्य सरकार का अहस्तक्षेप

13–(1) मंदिर की धार्मिक एवं पवित्र परंपराओं का हनन न करना–

(एक) न्यास की स्थापना का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा मंदिर की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप करना या उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित करना नहीं है, बल्कि संविधान के अधीन नागरिकों के मौलिक अधिकारों के दृष्टिगत उन्हें औपचारिक रूप देना और शाश्वत रूप से संरक्षित करना है;

(दो) राज्य सरकार अनुच्छेद 19 (1) (6), अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 (यदि लागू हो) के साथ पठित अनुच्छेद 19(1) (क) के अध्यधीन मंदिर के मामलों के किसी भी धार्मिक पहलू में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(2) राज्य सरकार का उद्देश्य और सीमित प्रकृति–

(एक) न्यास का उद्देश्य मंदिर की आस्तियों या संपत्तियों को अपने अधीन करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि चूंकि वे जनता के दान और चढ़ावे से बनी हैं, इसलिए उनके संबंध में वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे और व्यय, सर्वाधिक नैतिक, उत्तरदायी और जवाबदेह तरीके से किए जाएं।

न्यास की स्वायत्त प्रकृति

14–(1) ट्रस्ट एक स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला निकाय होगा और उसे किसी भी मामले में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी या प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि विशेष रूप से कोई उपबन्ध न किया गया हो।

(2) बोर्ड के पदेन सदस्यों की नियुक्ति का प्रयोजन नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि बोर्ड के समुचित रूप से कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासकीय संरेखण, व्यवहारिकता और रचनात्मक राय सुनिश्चित करना है।

(3) न्यास कोई तकनीकी विशेषज्ञता या लोक प्रशासन में दक्षता वाला निकाय नहीं है और इस रूप् में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यकारी समिति की नियुक्ति करने का प्रयोजन केवल यह सुनिश्चित करना है कि ट्रस्ट के किसी भी विनिश्चय को मन्दिर और लोक प्राधिकारियों के मध्य समन्वय से विधिक, व्यावहारिक, समीचीन और दक्षता से कार्यान्वित किया जाय।

(4) न्यास वित्तीय रूप से स्वतंत्र है और उच्च मूल्य के लेन–देन और हस्तान्तरण के सम्बन्ध में लेखा–परीक्षा और पूर्व मंजूरी की शक्ति केवल लोगों का विश्वास बनाये रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए रखी गयी है कि कोई कुप्रबन्धन न हो क्योंकि यह अंततः आम जनता का पैसा है जो मन्दिर को दान किया जाता है। राज्य ट्रस्ट से उधार लेने या कोई निधि लेने का हकदार नहीं होगा।

संशोधन

15–बोर्ड के पास बोर्ड का संविधान परिवर्तित किये बिना न्यास के उपबन्ध को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति होगी और ऐसे परिवर्तन या संशोधन न्यास की मूल संरचना, न्यास के उद्देश्यों के साथ हीं पुण्यार्थ और धार्मिक न्यासों को प्रशासित करने वाले आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों और समस्त विधियों, जो समय–समय पर लागू होंगी, से असंगत नहीं होंगे।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

16–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

नियमावली बनाने की शक्ति

17–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

विनियमावली बनाने की शक्ति

18–इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड अपने कारबार के संचालन से सम्बन्धित किसी विषय के लिए या किसी अन्य विषय के लिए जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमावली बनायी जा सकती है, विनियमावली बना सकेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

19–(1) उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास अध्यादेश, 2025 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

मथुरा जिला के वृंदावन नगर में स्थित श्री बांके बिहारी जी का मंदिर एक प्राचीन एवं विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष, विशेषकर त्योहारों और विशेष अवसरों के दौरान, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन करने आते हैं। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर लगभग 870 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 365 वर्ग मीटर का उपयोग दर्शनीय प्रांगण के रूप में किया जाता है।

श्री बांके बिहारी जी मंदिर तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत संकरा होने के कारण श्रद्धालुओं और आगंतुकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। दिनांक 20.08.2022 को वृंदावन, मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में अति भीड़ की घटना के दौरान दो श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए कुशल भीड़ प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उपरिलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, और तीर्थयात्रा, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं स्थापना–संबंधी पहलुओं सहित श्री बांके बिहारी जी मंदिर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं समुचित प्रबंधन हेतु तथा मंदिर के विकास एवं विनियमन को सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने हेतु, "श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास" नामक एक न्यास के गठन का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 166(2)/LXXIX -V-1–2025-1-ka-4-2025
Dated Lucknow, August 21, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shri Bankey Bihari Ji Mandir Nyas Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2025) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 21, 2025. The Dharmarth Karya Anubhag is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SHRI BANKEY BIHARI JI TEMPLE TRUST, ACT, 2025

(U.P. Act no. 4 of 2025)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, commencement and application

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Shri Bankey Bihari Ji Temple Trust Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

(3) It shall apply to Shri Bankey Bihari Ji Temple, Vrindavan, Mathura in Uttar Pradesh.